झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 13 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
19/04/23.

अपीलकर्त्ता श्री उदय कोरवा, पिता श्री शोभा कोरवा, ग्रा० सेनुडीह, पं० खरडीह, प्र० रंका, जिला-गढ़वा ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गढ़वा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<u>वाद सं0–13 / 2023</u>

परिवादी श्री उदय कोरवा, पिता–श्री भोला कोरवा, ग्रा0–तेनुडीह, पंचायत–खरडीह, प्र0–रंका, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र आयेाग को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में माह सितंबर 2021 से फरवरी–2023 तक कुल–17 माह का अनाज, किरासन तेल, नमक एवं चीनी नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है।

परिवादी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक–14.09.2022 को इसकी शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को की गयी थी। किन्तु अबतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्राप्त परिवाद–पत्र के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

परिवाद–पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, ~~पलामू~~ गढ़वा को भेजते हुए उक्त सुनवाई में निर्धारित तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

22.3.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

22.3.2023
(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–13 / 2023	
19.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में वाद दायर करने के बाद उनकी समस्या का निदान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर आयोग वाद की कार्रवाई समाप्त करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx58	